प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकलपीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

आदेश

विविध प्रकरण (सिविल) क्रमांक 479/2009 , जो निर्वाचन याचिका क्रमांक 2/2009 में

प्रस्तावित याचिकाकर्ता—केदारनाथ अग्रवाल द्वारा दायर किया गया।

बनवारी लाल अग्रवाल .....निर्वाचन याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जय सिंह अग्रवाल ....उत्तरवादी

केदारनाथ अग्रवाल .....आवेदक

(प्रस्तावित याचिकाकर्ता)

आदेश

आदेश हेतु दिनांक 16/10/2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकलपीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

<u>विविध प्रकरण (सिविल) क्रमांक 479/2009</u>

…….निर्वाचन याचिकाकर्ता	:	बनवारी लाल अग्रवाल, पिता—स्व. श्रीधर अग्रवाल, आयु 61 वर्ष, निवासी—दुरूपा रोड, पोस्ट—कोरबा, जिला—कोरबा (छ.ग.)
		बनाम
……..उत्तरवादी	:	जय सिंह अग्रवाल, पिता—श्री रामकुमार अग्रवाल, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी—शांति निवास, अग्रसेन मार्ग, वार्ड क्रमांक 3, देवांगन पारा, पोस्ट —कोरबा, जिला—कोरबा (छ.ग.)
…….<u>आवेदक</u> (प्रस्तावित याचिकाकर्ता)	:	केदारनाथ अग्रवाल, पिता—स्व. श्री परमेश्वरी लाल अग्रवाल, आयु लगभग 47 वर्ष, मेसर्स तुलसी एजेंसी, पावर हाउस रोड, टी.पी. नगर, कोरबा (छ.ग.)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निर्वाचन याचिका क्रमांक 2/2009 में याचिकाकर्ता के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तावित याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन)

उपस्थिति :

श्री बी.पी. गुप्ता, अधिवक्ता — आवेदक/प्रस्तावित याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री धीरज वानखेड़े, अधिवक्ता — उत्तरवादी की ओर से।

श्री अनुप मजूमदार, अधिवक्ता — निर्वाचन याचिकाकर्ता की ओर से।

आदेश (16.10.2012)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

(1) याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी ने कोरबा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 से विधान सभा सदस्य के निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। निर्वाचन परिणाम दिनांक 8.12.2008 को घोषित किया गया, जिसमें उत्तरवादी को निर्वाचित घोषित किया गया। उत्तरवादी के निर्वाचन को याचिकाकर्ता द्वारा

निर्वाचन याचिका क्रमांक 2/2009 प्रस्तुत कर चुनौती दी गई। दिनांक 1.5.2009 को याचिकाकर्ता ने निर्वाचन याचिका को प्रत्याहरण करने हेतु एक आवेदन (अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 8/2009) प्रस्तुत किया। प्रस्तावित प्रत्याहरण का प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आगे 'अधिनियम, 1951' कहा गया है) की धारा 109 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार राजपत्र में किया गया। प्रत्याहरण के प्रकाशन के संबंध में दिनांक 1 जुलाई, 2009 की राजपत्र के सूचना की प्रति अभिलेख पर लाई गई। इस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उत्तरवादी ने भी प्रत्याहरण पर कोई आपत्ति नहीं की। अतः अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 8/2009 स्वीकार किया गया तथा याचिकाकर्ता को निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की गई। परिणामस्वरूप, निर्वाचन याचिका दिनांक 10.8.2009 को प्रत्याहरण की गई मानते हुए खारिज कर दी गई। निर्वाचन याचिका को प्रत्याहरण की गई मानते हुए निरस्त करते समय, इस न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि अधिनियम, 1951 की धारा 110 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसार प्रत्याहरण की सूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया जाए। इस न्यायालय के दिनांक 10.08.2009 के आदेश के अनुसार निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना दिनांक 28 अगस्त, 2009 को राजपत्र में प्रकाशित की गई। इसके पश्चात, प्रस्तावित याचिकाकर्ता—केदारनाथ अग्रवाल ने मूल निर्वाचन याचिकाकर्ता बनवारी लाल अग्रवाल के स्थान पर निर्वाचन याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु दिनांक 8.10.2009 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के पंजीयन पर यह विविध प्रकरण (सिविल) पंजीबद्ध की गई। मूल निर्वाचन याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी को सुचना जारी किए गए। निर्वाचित प्रत्याशी ने प्रस्तावित याचिकाकर्ता के प्रतिस्थापन का विरोध किया है। निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्ति यह है कि प्रस्तावित याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन काल से बाधित है, अतः इसे निरस्त किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित याचिकाकर्ता को निर्वाचन याचिका के अनुसरण हेतु प्रतिस्थापित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) प्रस्तावित याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. गुप्ता ने दोहरे तर्क प्रस्तुत किए। उनका तर्क था कि यद्यपि निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना दिनांक 28 अगस्त, 2009 को राजपत्र में प्रकाशित की गई, तथापि इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 110(3)(ख) के अनुसार किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया गया। प्रस्तावित निर्वाचन याचिकाकर्ता को निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की जानकारी केवल दिनांक 7.10.2009 को हुई। अतः परिसीमा की अवधि उक्त तिथि से प्रारंभ होगी और प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन समय-सीमा के भीतर है। वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया गया कि यदि आवेदन समय-सीमा के भीतर नहीं भी माना जाए, तब भी प्रस्तावित याचिकाकर्ता को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विलंब के परिहार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावित याचिकाकर्ता के पक्ष में विलंब के परिहार के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) इसके विपरीत, निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने इन तर्कों का विरोध किया और यह तर्क किया कि परिसीमा की गणना राजपत्र में निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण के प्रकाशन की तिथि से की जाएगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रस्तावित याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान निर्वाचन याचिकाओं तथा उनसे उत्पन्न उत्तरवर्ती कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते, क्योंकि वे पूर्णतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। निर्वाचन याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप मजूमदार ने प्रस्तावित याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध नहीं किया।

(4) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के पश्चात्, हमने इस विविध प्रकरण (सिविल) के अभिलेखों के साथ-साथ निर्वाचन याचिका क्रमांक 2/2009 के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(5) सर्वप्रथम, निर्वाचन याचिकाओं में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में विचार किया जाना उपयुक्त होगा।

(6) *के. वेंकटेश्वर राव एवं एक अन्य बनाम बेक्कम नरसिम्हा रेड्डी एवं अन्य*, ए.आई.आर. 1969 एससी 872 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, निर्वाचन याचिका जैसी कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एक पूर्ण एवं स्वतःपूर्ण संहिता है, जो परिसीमा अधिनियम में निहित विधि के सिद्धांतों अथवा प्रावधानों को लागू किए जाने की अनुमति नहीं देती।

(7) ***हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्र*, ए.आई.आर. 1974** एससी **480** में यह यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही किसी विशेष विधि में परिसीमा अधिनियम की धाराओं 4 से 24 को स्पष्ट रूप से अपवर्जित न किया गया हो, फिर भी न्यायालय के लिए यह विचार हेतु खुला रहता है कि क्या और किस सीमा तक विशेष विधि के प्रावधानों की प्रकृति, विषय-वस्तु की प्रकृति तथा उस विधि की संपूर्ण योजना, परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन को अपवर्जित करती है। न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या विशेष विधि की योजना और उसमें प्रदत्त उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधायिका ने उसे एक पूर्ण संहिता के रूप में अभिप्रेत किया है। यदि सुसंगत प्रावधानों के परीक्षण से यह स्पष्ट हो जाए कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान आवश्यक रूप से अपवर्जित हैं, तो उसमें प्रदत्त लाभों का आश्रय लेकर विशेष अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति नहीं की जा सकती। परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यह उपबंध है कि निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया वाद, दायर की गई अपील अथवा किया गया आवेदन निरस्त किया जाएगा। ऐसा ही अनिवार्य प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 में किया गया है, जिसमें यह कठोर आदेश है कि उच्च न्यायालय ऐसी निर्वाचन याचिका को निरस्त करेगा जो धारा 81, 82 अथवा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती। जब धाराओं 82 एवं 117 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन न होने पर धारा 86(1) के अंतर्गत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्वाचन याचिका को निरस्त किया जाना आवश्यक है, तो धारा 81 में निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत किया जाना भी समान रूप से आज्ञापक है, जिसके अनुपालन न होने पर याचिका निरस्त किए जाने का दंड भुगतना पड़ता है। अतः परिसीमा अधिनियम की धारा 5 निर्वाचन याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण अथवा उनके परीक्षण को शासित नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय ने, इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि विशेष विधि की योजना और उसमें प्रदत्त उपचार की प्रकृति स्वयं में एक पूर्ण संहिता के रूप में अभिप्रेत है, जो केवल उसी विशेष विधि द्वारा नियंत्रित की जानी है, तो परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को आवश्यक रूप से अपवर्जित माना जाएगा।

(8) अतः श्री गुप्ता का यह तर्क कि चूंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिसीमा विधि का अपवर्जन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, इसलिए परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के आधार पर उसके प्रावधान लागू होंगे, उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन निर्णयों में परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) तथा धाराओं 4 से 24 के संदर्भ में भी इस विषय पर विचार किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) उपर्युक्त निर्णयों का संज्ञान लेने के पश्चात् भी श्री गुप्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा ***लक्ष्मण सोनबोइर बनाम बी.डी. कुरैशी एवं अन्य,*** **ए.आई.आर. 2010 छत्तीसगढ़ 15** में प्रतिपादित विधि मुख्यतः निर्वाचन याचिका के प्रस्तुतीकरण से संबंधित है, जबकि वर्तमान प्रकरण में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता विभिन्न प्रक्रियात्मक विषयों, जैसे कि वर्तमान मामले में प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संदर्भ में परखी जानी चाहिए। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि निर्वाचन याचिका के परीक्षण में प्रक्रियात्मक मामलों में संबंधित पक्षकार को परिसीमा अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः निर्वाचन याचिका के परीक्षण को पूर्ण करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू किए जाने होते हैं।

(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अध्याय-III निर्वाचन याचिकाओं के विचारण से संबंधित है। धारा 86(1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई निर्वाचन याचिका अधिनियम, 1951 की धारा 81, 82 अथवा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है, तो उच्च न्यायालय उसे खारिज करेगा। धारा 81 निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए 45 दिनों की अवधि निर्धारित करती है। *हुकुमदेव* (पूर्वाक्त) प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 86(1) के उपर्युक्त प्रावधान आज्ञापक हैं तथा इस प्रकार 45 दिनों की अवधि निर्धारित करने वाली धारा 81 भी आज्ञापक है। धारा 87, जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया का निर्धारण करती है, यह उपबंध करती है कि अधिनियम, 1951 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक निर्वाचन याचिका का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो व्यवहार वादों के विचारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू होती है। *हुकुमदेव* (पूर्वोक्त) प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 17 से 25 तक विस्तृत चर्चा के पश्चात् स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्वाचन याचिका एक भिन्न आधार पर संस्थित होती है। ऐसी याचिका का विचारण तथा उससे संबंधित न्यायालय की शक्तियाँ पूर्णतः अधिनियम, 1951 द्वारा सीमित एवं नियंत्रित हैं। परिसीमा अधिनियम, 1963 वादों एवं अन्य कार्यवाहियों की परिसीमा विधि को समेकित एवं संशोधित करने हेतु बनाया गया अधिनियम है तथा उससे संबद्ध प्रयोजनों के लिए है। इस अधिनियम के प्रावधान सभी सिविल कार्यवाहियों तथा कुछ विशेष दांडिक कार्यवाहियों पर लागू होते हैं, जब तक कि किसी अन्य अधिनियम द्वारा उनके अनुप्रयोग को अपवर्जित न किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह मत व्यक्त किया है कि परिसीमा अधिनियम निर्वाचन याचिका जैसी कार्यवाहियों पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एक पूर्ण एवं स्वतःपूर्ण संहिता है, जो परिसीमा अधिनियम में निहित सिद्धांतों अथवा प्रावधानों के समावेश की अनुमति नहीं देता। इन्हीं सभी चर्चाओं के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय ने यह अंतिम निष्कर्ष निकाला कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 निर्वाचन याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण अथवा उनके विचारण को शासित नहीं करती (बल दिया गया)। यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भी विचारणीय है कि यदि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को उन प्रक्रियात्मक मामलों में भी लागू मान लिया जाए, जहाँ अधिनियम, 1951 द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो निर्वाचन याचिका की कार्यवाही अंतहीन हो जाएगी। उदाहरणार्थ, कोई भी पक्षकार, जो सद्भावनापूर्ण न हो, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से अत्यधिक विलंब के पश्चात् भी प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो विशेष अधिनियम के अंतर्गत विधायिका का उद्देश्य नहीं है। विशेष अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं में एक पूर्ण संहिता है, जो उसमें विनिर्दिष्ट विषयों को शासित करने के लिए अभिप्रेत है। अतः निर्वाचन याचिका के विचारण के दौरान प्रक्रियात्मक मामलों में भी परिसीमा विधि को लागू नहीं माना जा सकता।

(11) अब मैं इस प्रश्न पर विचार करूँगा कि प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा की गणना किस महत्वपूर्ण तिथि से की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 110(3)(ख) में यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय यह निर्देश देगा कि निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना राजपत्र में तथा ऐसे अन्य किसी माध्यम से, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे, प्रकाशित की जाएगी और तत्पश्चात् उस निर्देश के अनुसार सूचना प्रकाशित की जाएगी। उपधारा (3) के खंड (ग) में यह भी उपबंध किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वयं निर्वाचन याचिकाकर्ता हो सकता था, उक्त प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, याचिका का प्रत्याहरण करने वाले पक्ष के स्थान पर स्वयं को याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु आवेदन कर सकता है और यदि सुरक्षा आदि से संबंधित, यदि कोई शर्त हो, तो उसके अनुपालन पर, उसे प्रतिस्थापित किए जाने तथा उच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

(13) यह निर्विवाद है कि निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना दिनांक 28 अगस्त, 2009 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा प्रतिस्थापन हेतु आवेदन दिनांक 8.10.2009 को प्रस्तुत किया गया है। अतः यह आवेदन निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना के प्रकाशन की तिथि से

चौदह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तावित याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की जानकारी दिनांक 7.10.2009 को प्राप्त हुई। श्री गुप्ता ने यह तर्क दिया है कि चूँकि प्रत्याहरण की सूचना किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं की गई थी, इसलिए प्रस्तावित याचिकाकर्ता को निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की जानकारी नहीं हो सकी और परिणामस्वरूप चौदह दिनों की परिसीमा अवधि दिनांक 7.10.2009 से प्रारंभ मानी जानी चाहिए।

(14) ***मोहम्मद अबूबक्कर सिद्दीकी बनाम मुस्तफा शाहिदुल इस्लाम एवं अन्य*, (2000) 2 एस.सी.सी. 62** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 110 की उपधारा (3) के खंड (ख) से स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना का राजपत्र में प्रकाशन एक आज्ञापक आवश्यकता है। राजपत्र में सूचना के प्रकाशन के अतिरिक्त, यह सूचना ऐसे अन्य किसी माध्यम से भी प्रकाशित की जा सकती है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। "राजपत्र में तथा ऐसे अन्य किसी माध्यम से, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे" यह अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि समाचार-पत्र अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रकाशन, राजपत्र में प्रकाशन के अतिरिक्त है, न कि उसके स्थान पर। यदि किसी अन्य माध्यम से प्रकाशन की तिथि, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पूर्व की है, तो खंड (ग) में निर्धारित 14 दिनों की अवधि, जिसके भीतर कोई व्यक्ति मूल निर्वाचन याचिकाकर्ता के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने हेतु आवेदन कर सकता है, सामान्यतः तब तक प्रारंभ नहीं होगी, जब तक कि राजपत्र में प्रकाशन भी न हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा परिसीमा अवधि की गणना अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन की तिथि से करना त्रुटिपूर्ण था। 14 दिनों की अवधि की गणना निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि, अर्थात् 20.9.1997 से की जानी चाहिए थी। इस प्रकार गणना करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदन, दोनों ही राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से गणना की गई वैधानिक 14 दिनों की अवधि के भीतर थे।

(15) उपर्युक्त धारा 110 की उपधारा (3) के खंड (ग) के प्रावधानों तथा *मोहम्मद अबूबक्कर* (पूर्वोक्त) के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 14 दिनों की अवधि की गणना निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से की जानी है, जो वर्तमान प्रकरण में दिनांक 28 अगस्त, 2009 है। यदि परिसीमा की अवधि का निर्धारण अनिवार्यतः उक्त तिथि, अर्थात् 28 अगस्त, 2009 से किया जाना है, तो प्रस्तावित याचिकाकर्ता के लिए वही एकमात्र महत्वपूर्ण तिथि है और उसे उक्त तिथि से 14 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। प्रस्तावित याचिकाकर्ता इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता कि उसे निर्वाचन याचिका के प्रत्याहरण की जानकारी दिनांक 7.10.2009 से पूर्व नहीं थी, केवल इस आधार पर कि सूचना उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं की गई थी।किसी अन्य माध्यम के प्रत्याहरण की सूचना के प्रकाशन न किए जाने के विधिक परिणाम, यदि कोई हों, तो वे अपने स्वतंत्र परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु यह 14 दिनों की परिसीमा अवधि को बढ़ाने का आधार नहीं बन सकता। अतः श्री गुप्ता का यह तर्क कि चूँकि प्रत्याहरण की सूचना किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं की गई, इसलिए 14 दिनों की परिसीमा प्रस्तावित याचिकाकर्ता की जानकारी की तिथि से प्रारंभ होगी, न कि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से—स्वीकार्य नहीं है और उसमें कोई सार नहीं पाया जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) अतः प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन काल बाधित है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(17) परिणामस्वरूप, यह विविध प्रकरण (सिविल) अंतिम रूप से निराकृत की जाती है।

(18) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur